

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, सिणधरी**  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) केम्प:- अटल सेवा केन्द्र सड़ा

प्रकरण सं.:- 99/2018


दिनांक:- 28.5.18

क्रमांक:- लो.अदा./2018/845

**आदेश**

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र व पटवारी सड़ा एवं भू.अ.नि.होडू की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सिणधरी की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम सड़ा झून्ड तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर की जमाबन्दी संवत् 2070-2073 में खाता संख्या 55 में वर्तमान को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-


क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	सड़ा झून्ड	55	204,205/3	भंवरलाल पुत्र धीराराम	भंवराराम पुत्र धीराराम <b>शेष बदुस्तर</b>

  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन  
सहायक कलेक्टर, सिणधरी  
दिनांक:- 28.5.18

क्रमांक:- लो.अदा./2018/846-848

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार सिणधरी को भेजकर लेख है, कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना से रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री भंवराराम पुत्र धीराराम जाति जाट निवासी सड़ा झून्ड तहसील सिणधरी को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन  
सहायक कलेक्टर, सिणधरी